सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)

Email: - registrarsua@yahoo.co.in , Phone: - 07774-222789, Fax:- 07774-222791

क्रमांक 2430/अका./शोध/2018 अम्बिकापुर, दिनांक 28/09/2018

निर्देश

1. प्रवेश प्रक्रिया आवेदन फार्म आवेदक को दिनांक 15.09.2018 से 15.10.2018 तक विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र, शोध केन्द्र एवं शोध निर्देशकों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.sargujauniversity.in** पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।
2. फार्म के साथ आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 500/- का बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर के नाम से देय) अथवा ₹ 500/- विश्वविद्यालय कोष में जमा कर रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
3. ऐसे आवेदक जो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे।
4. विश्वविद्यालय अध्यादेश 42 की कंडिका 3C में प्रावधानानुसार प्रवेश परीक्षा में छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों को भी उपर्युक्त निर्धारित समायावधि पर ही Admission Form/Registration Form जमा करना होगा। प्रवेश परीक्षा से छूट की पात्रता का परीक्षण DRC द्वारा किया जाएगा। आवेदक परीक्षा पूर्व छूट को सुनिश्चित कर लें।
5. प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित विषयों के लिए अयोजित होगी –

पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी, फार्म फारेस्ट्री, प्रयोजनमूलक हिन्दी, विधि, सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी, वाणिज्य, मैनेजमेन्ट, कम्प्यूटर साइंस, इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी, समाज कार्य, मनोविज्ञान, मानवविज्ञान,

6. विश्वविद्यालय के शोध निर्देशकों के पास उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
7. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उसने समस्त जानकारियों का उल्लेख आवेदन पत्र में किया है तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया है।
8. आवेदक का पूर्ण पता पिन कोड सहित, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. लिखा होना चाहिए।
9. विभागीय शोध समिति (DRC), समस्त शोध निर्देशकों के अधीन शोधार्थियों के प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियम का पालन सुनिश्चित करें।
10. शोध निर्देशकों के अधीन कुल शोधार्थियों की संख्या – सहायक प्राध्यापक–04, सह–प्राध्यापक–06, तथा प्राध्यापक–08 होगी।
11. प्रवेश परीक्षा में योग्य घोषित होने पर शोध कार्य हेतु पंजीयन के लिए विश्वविद्यालय की बाध्यता नहीं होगी। यह शोध निर्देशक के अधीन सीट रिक्त होने तथा आवेदक द्वारा शोध निर्देशक की सहमति प्राप्त करने पर निर्भर होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2431 / अका. / शोध / 2018 अम्बिकापुर, दिनांक 28/09/2018

प्रतिलिपि :

1. विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
2. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय एवं समस्त शोध केन्द्र
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि संदर्भित अधिसूचना विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. संपादक / ब्यूरो चीफ, समस्त दैनिक समाचार पत्र .... स्थानीय समाचार पत्र की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार वृत्त में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)